संख्या-04/2020/2966/71-2-19-24/2018

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

2- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

3- निदेशक,
हृदय रोग संस्थान,
कानपुर।

4- निदेशक,
राजकीय मेडिकल कालेज,
आगरा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 14 जनवरी, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/राजकीय मेडिकल कालेज को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 1100.00 लाख (रूपए ग्यारह करोड मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0	संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज	धनराशि (लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	400.00
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	300.00
3	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	300.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।	100.00
	योग-	**1100.00**

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।

3- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

4- चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/राजकीय मेडिकल कालेज का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं देनदारी लम्बित नहीं की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु नियमावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019-बी/1-170-दस/2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 द्वारा में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/ महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7- धनराशि को कोषागार से सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय/ राजकीय मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-3/42/दस-2020, दिनांक 13 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

संख्या-04/2020/2966(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी-कलेक्ट्रेट तथा जवाहर भवन लखनऊ।
4. संबंधित कोषाधिकारी-कानपुर तथा आगरा।
5. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी /वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/वित्त(आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in